न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन सिटी(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कुसुम सूत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या :– 01/2021

करणसिंह पुत्र स्व. गोपालसिंह आयु 51 वर्ष स्थाई निवासी–मुकाम पोस्ट लिचाना, तहसील नावां जिला नागौर, वार्ड नंबर 8 स्टेशन रोड़ कुचामन सिटी, जिला नागौर, हाल निवासी–मकान नंबर ए–132 करणी पथ, तारा नगर–ए, झोडवाड़ा जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती विनोद कंवर धर्म पत्नी स्व. श्री शैतानसिंह, आयु 42 वर्ष, स्थाई निवासी–वार्ड नंबर 8 स्टेशन रोड़, कुचामन सिटी, जिला नागौर राजस्थान, हाल निवासी प्लॉट नंबर 58, हरि नगर, खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर।
2. कुमारी कृष्णा कंवर राठौड़ पुत्री स्व. शैतानसिंह,
3. दिपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. शैतानसिंह,
4. कुमारी लता कंवर राठौड पुत्री स्व श्री शैतान सिंह, निवासीगण वार्ड नंबर 8 स्टेशन रोड़ कुचामन सिटी, जिला नागौर राजस्थान, हाल निवासी प्लॉट नंबर 58 हरि नगर, खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर।
5. नगरपालिका कुचामन सिटी, संगीत भवन, जवाहर स्कूल के सामने, स्टेशन रोड़ कुचामन सिटी, जिला नागौर राजस्थान जरिये अधिशाषी अभियंता।
6. कार्यालय उप पंजीयक कुचामन सिटी, तहसील कार्यालय, सीकर बाईपास रोड़ डीडवाना रोड़ कुचामन सिटी, जिला नागौर राजस्थान जरिये उप पंजीयक महोदय।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर नागौर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

::–उपस्थिति::–

1. प्रार्थी की ओर से श्री अनिल कुमार जोशी।
2. अप्रार्थी संख्या–1 से 4 की ओर से श्री अशोक पुरी।
3. अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की ओर से श्री मनीष शर्मा।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 09-07-2026

1. प्रार्थी करण सिंह के द्वारा अप्रार्थीगण विनोद कंवर वगैरह के विरूद्ध मूल दावा विभाजन सम्पति व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का यह कथन रहा है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित सम्पतियां ए लगायत जी प्रार्थी के पिता स्व. गोपाल सिंह जी के संयुक्त परिवार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पतियां है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 28.01.2016 को एवं माता की मृत्यु दिनांक 13.06.2018 को हो चुकी है। प्रार्थी के पिता के परिवार में दो पुत्र प्रार्थी स्वयं एवं दूसरा शैतान सिंह है। जिसकी मृत्यु उसके पिता के जीवनकाल में ही दिनांक 15.02.2008 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 शैतानसिंह के परिवार के सदस्य है। विवादित समस्त जायदाद में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा अविभाजित चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 अवैधानिक तौर पर विवादित जायदाद पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है तथा अन्य व्यक्ति को विक्रय करना चाहते हैं। प्रथम दृष्टयाः मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन किया कि ता फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित सम्पति में कोई तोड़–फोड़ नहीं करे, न ही अवैध रूप से कोई नवनिर्माण करे। विवादित जायदाद को किसी अन्य को हस्तांतरित विक्रय नहीं करे। मौका व रिकॉर्ड की स्थिति को कायम रखा जावे।

2. उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जवाब पेश कर यह कथन किया है कि विवादित जायदाद संयुक्त परिवार की सम्पति नहीं होकर गोपालसिंह जी की व्यक्तिगत सम्पतियां थी। गोपालसिंह को उक्त सम्पतियों को अपनी इच्छा के अनुसार अंतरित करने का अधिकार था। प्रार्थना पत्र में वर्णित एफ सम्पति स्व. भंवरलाल की स्वअर्जित सम्पति थी। जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.10.2016 को उक्त सम्पति अप्रार्थी

संख्या 01 श्रीमती विनोद कंवर को बेचान कर दी और कब्जा संभला दिया था। सम्पति को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 के पिता/पति शैतानसिंह ने पूरण सिंह पुत्र अड़िसालसिंह से क्रय किया। इस प्रकार उक्त जायदाद अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की मलकियत का है। शेष ए से ई की सम्पतियां स्व. गोपाल सिंह की व्यक्तिगत सम्पतियां थी। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित ए,बी,सी सम्पति को गोपाल सिंह ने अपनी पत्नी भंवर कंवर व अप्रार्थी संख्या 03 दिपेन्द्र सिंह को दिनांक 23.01.2016 को वसीयत कर दी। श्रीमती भंवर कंवर व दिपेन्द्र सिंह ने उक्त जायदाद को दिनांक 14.10.2016 को जरिये पंजीकृत बेचान किया। अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती विनोद कंवर को बेचान कर उनका कब्जा करवा दिया। पैरा संख्या 2 में वर्णित जायदाद डी स्व. गोपाल सिंह जी की स्वअर्जित सम्पति होकर उक्त जायदाद को उन्होंने दिनांक 23.01.2016 को अपनी पौत्री कृष्णा कंवर राठौड़ पुत्री शैतानसिंह को वसीयत कर दी। इस प्रकार सम्पति ई को दिनांक 23.01.2026 को लता राठौड़ पुत्री शैतानसिंह को वसीयत कर दी। अतः निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन रहा है कि विवादित जायदाद प्रार्थी के पिता की जायदाद है। प्रकरण में की गई वसीयत फर्जी है, जिस पर प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर फर्जी तौर पर किये गये है, जिस बाबत प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवाई है जिसमें अभी अनुसंधान लंबित है। प्रार्थी अपने पिता का प्रथम श्रेणी का वारिस है जिसका विवादित जायदाद में हक हिस्सा है। विवादित स्थावर सम्पतियों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुज्ञात किये जाने के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह तर्क रहा है कि अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित जायदाद को गोपालसिंह व उनकी पत्नी की स्वअर्जित व एक जायदाद अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 के पति/पिता की स्वअर्जित जायदाद होना कथन करते हुए इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

विवादित जायदाद को जरिये वसीयत व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दावा प्रस्तुति से पूर्व अंतरित की जा चुकी है। प्रार्थी ने वसीयत व बेचाननामें को निरस्त कराने का कोई दावा पेश नहीं किया है, न ही आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कोई साक्ष्य पेश की है। अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अस्वीकार कर खारिज किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

1- Rajendra kumar vs Lekhraj & Ors. [citation-2021(2) CJ (civ.) (sc) 877]

2- Prem Devi @ Premlata(smt) vs Smt. Santosh Chhipa & Anr. [citation -2018 (3) CJ (civ.) (sc) 1763]

3- Sunil Parihar & Ors. vs Ganpat Singh & Anr. [citation -2021 (3) CJ (civ.) (Raj) 1665]

4. उभय पक्षों के तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत अस्थायी निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु निम्न तीन कानूनी बिन्दूओं पर न्यायालय को विचार किया जाना आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का सन्तुलन एवं
3. अपूर्णनीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>

5. प्रथम दृष्ट्या मामला में न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रार्थी ने ऐसा कोई सदभाविक प्रश्न उठाया है, जिस पर प्रथम दृष्टयाः ही जांच की आवश्यकता है? उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित ए लगायत ई की सम्पति प्रार्थी के पिता गोपाल सिंह जी की स्वअर्जित सम्पति थी। जिन्हें उक्त विवादित जायदाद को हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पाया जाता है कि विवादित जायदाद ए,बी,सी को गोपाल सिंह ने अपनी पत्नी भंवर कंवर व पौत्र दिपेन्द्र सिंह तथा उनके द्वारा उक्त जायदाद को अ**प्रार्थीया विनोद**

कंवर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.10.2016 के बेचान कर दी गई। इसी प्रकार गोपालसिंह के द्वारा डी व ई सम्पति को दिनांक 23.01.2016 को अपनी पौत्रियों क्रमशः कृष्णा कंवर व लता राठौड़ को वसीयत कर दी। प्रार्थी ने उक्त वसीयतनामे व बेचाननामे को निरस्त कराने का अनुतोष हस्तगत दावे में नहीं चाहा है। प्रार्थी की ओर से उक्त वसीयत व बेचाननामे को निरस्त व अवैध घोषित कराने के संबंध में अन्य किसी न्यायालय में भी किसी कार्यवाही की साक्ष्य को न्यायालय पटल पर पेश नहीं किया है, न ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को ही पेश किया है। हस्तगत दावा मात्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। जबकि विवादित जायदाद वादी के दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही अंतरित की जा चुकी है। अतः प्रार्थी जिन विवादित जायदाद को अपने पिता के संयुक्त परिवार के स्वामित्व की जायदाद बताकर आया है, उस जायदाद का अंतरण दावा प्रस्तुति से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 में होना पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टयाः मामला प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थीगण के पक्ष पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षतिः–

6. उक्त दोनों बिन्दू का निस्तारण सुविधा व समय की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टयाः मामला प्रार्थी के विरूद्ध तय किया है। विवादित जायदाद का अंतरण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 के पक्ष में हो जाने की साक्ष्य सामग्री अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अपने स्वामित्व व कब्जे की जायदाद के उपयोग, उपभोग से रोका जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से प्रार्थी की तुलना में अधिक असुविधा व ऐसी क्षति होने की संभावना है, जिसकी रूपये–पैसों से पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। उक्त अनुसार उक्त दोनों बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

7. इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

::–**आदेशः–**

8. अतः प्रार्थी करण सिह की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण श्रीमती विनोद कंवर व अन्य अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन सिटी

9. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुम सुत्रकार))
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन सिटी